

उत्तराखण्ड शासन,
आपदा प्रबंधन अनुभाग-1,
संख्या- /XVIII-B-1/2020-15(4)/2020
देहरादून, दिनांक : 17 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 53) की धारा 60 के प्रस्तर (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (सब इन्सपेक्टर के पद से अन्यून) को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय-10 की धारा 51 से 59 के अन्तर्गत कारित किए गए अपराधों के संबंध में अपने अधिकारिता के न्यायालयों में परिवाद दायर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-293 (1)/XVIII-B-1/2020-15(4)/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मंडलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, मुद्रण, राजकीय मुद्राणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा (17/4/2020)
(एस0एस0 मुरगेशन)
सचिव(प्रभारी)